



कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व

तहसील - मेहगाँव
जिला - भिण्ड, मध्यप्रदेश

(अन्य पिछडे वर्ग का स्थायी जाति प्रमाण-पत्र)

दिनांक : 18/04/2017

प्रकरण क्रमांक 5680/बी - 121/जाति प्रमाण पत्र
प्रमाण पत्र क्रमांक : RS/420/0106/4160/2017

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री परमवीर सिंह बघेल पुत्र श्री रघुवीर सिंह बघेल (पिता) एवं श्रीमती वीरवती बघेल (माता) ग्राम मुस्तरा, तहसील मेहगाँव, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश गड़रिया जाति के हैं, यह जाति राज्य के लिए अधिसूचित अन्य पिछडा वर्ग की जाति में अधिसूचित सूची में अनुक्रमांक 23 निम्नलिखित के तहत विनिर्दिष्ट की गई है:-

1. मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछडा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 8-5-पच्चीस-4-84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984.
2. पिछडा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 23-4-97-चौवन, दिनांक 2 अप्रैल, 1997.
3. इस संदर्भ में समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं द्वारा अधिमान्य किया गया है।
2. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री परमवीर सिंह बघेल क्रीमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) व्यक्तियों/वर्गों की श्रेणी में नहीं आते हैं, जिसका उल्लेख मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के जापन क्रमांक एफ 7-26-93-1-आ.प्र., दिनांक 8 मार्च, 1994 के साथ संलग्न परिशिष्ट (ई) की अनुसूची के कालम (3) में किया गया है।
3. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक परमवीर सिंह बघेल के परिवार की कुल वार्षिक आय उनके द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र/सक्षम प्राधिकारी / नियोक्ता द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र के आधार पर रुपये 50000.00 हैं।
4. श्री परमवीर सिंह बघेल पुत्र श्री रघुवीर सिंह बघेल सामान्यतः (Ordinary) ग्राम मुस्तरा, तहसील मेहगाँव, जिला भिण्ड (मध्यप्रदेश) के निवासी हैं।

स्थान : मेहगाँव

दिनांक : 18/04/2017

आधार नंबर :

समग्र नं. :



तहसील - मेहगाँव

सलोनी सिडाना
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
स्वयं

1. प्रमाणित किया जाता है कि यह प्रमाण पत्र म.प्र. शासन की Digitally Signed document repository [www.mpedistrict.gov.in](http://mpedistrict.gov.in) से डाउनलोड किया गया है। प्रमाण पत्र पर सक्षम अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर हैं।
2. यह प्रमाण पत्र, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत मान्य है।
3. प्रमाण पत्र का सत्यापन पंजीयन क्रं RS/420/0106/4160/2017 के द्वारा बेबसाईट <http://mpedistrict.gov.in> के माध्यम से किया जा सकता है।

Paramveer

कार्यालय नायब तहसीलदार/तहसीलदार,
टप्पा/तहसील मेहगाँव जिला भिण्ड

RS/420/0110/3970/2017 /बी-121/2017

दिनांक 05/03/2017

स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र



प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु. परमवीर सिंह पिता/पति रघुवीर सिंह निवासी मुस्तरा, Mustra, Mehgaon, भिण्ड तहसील मेहगाँव जिला भिण्ड (मध्यप्रदेश) राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के लिए प्रभावशील जाप दिनांक 20/12/2011 में निर्धारित मापदण्ड की कण्डिका क्रमांक (ii) की पूर्ति करने के फलस्वरूप मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी है।

2. * प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के जाप क्रमांक सी-3/17/1/3/2011 दिनांक 20/12/2011 के अधीन आवेदक द्वारा दिए विवरण अनुसार आवेदक की पत्नी*/अवयस्क बच्चे* जिनका विवरण नीचे वर्णित है, मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी है -

- (1) आवेदक की पत्नी का नाम आयु वर्ष है।
- (2) आवेदक के अवयस्क पुत्र/पुत्री एवं आयु

टीप :- यह प्रमाण पत्र जाति निर्धारण के लिए जारी किये जाने वाले जाति प्रमाण पत्र की जाँच में साक्ष्य हेतु विचारार्थ ग्राह्य नहीं होगा।

(आवेदक द्वारा प्रस्तुत घोषणा पत्र के आधार पर जारी)

हस्ताक्षर

तहसीलदार/नायब तहसीलदार,
तहसील मेहगाँव
जिला भिण्ड

Paramveer

* लागू ने होने पर काट दें।



नोट :- पंजीयन क्रमांक : RS/420/0110/3970/2017 जारी सर्टिफिकेट का सत्यापन वेबसाईट lokseva.gov.in अथवा mpdistrict.gov.in पर यह पंजीयन क्रमांक देकर किया जा सकता है।

प्रमाणित किया जाता है कि इस पत्र का प्रिंटआउट वेबसाईट www.mpdistrict.gov.in से मेरे द्वारा निकाला गया है।

